क्षेत्रीय कार्यालय, उप निदेशक (निर्माण)

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0,

नवीन मण्डी स्थल, रोजा, शाहजहाँपुर।

पत्रांकः नि0–शाह0 (निविदा)/11– 1206 दिनांकः– 30-06-11

अल्पकालीन निविदा सूचना

निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मण्डी परिषद में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांकः–19.07.2011 को अपरान्ह 3.00 बजे तक सीलबन्द निविदाएं उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद, शाहजहाँपुर के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिनांक को 3.30 बजे अधोहस्ताक्षरी अथवा मनोनीत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क0 सं0	कार्य का विवरण	धरोहर धनराशि (रू0लाख में)	निविदा का मूल्य वैट सहित	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पंजीकृत ठेकेदार की श्रेणी
मण्डी समिति, शाहजहाँपुर के क्षेत्रान्तर्गत					
1.	अख्तयारपुर बघौरा पक्के मार्ग से ग्राम नौगवाँ तक। (ल0–1.00 किमी0)	2.65	1,135.00	चार माह	''द''
2.	ग्राम मुतिहासा (वि0ख0 ददरौल) पक्के मार्ग से ग्राम बंजर होते हुए बरूआखुर्द(ल0–1.10किमी)	0.47	1,135.00	चार माह	''द'' (आरक्षित वर्ग)
3.	रोहिला चौराहा से भूड़ाकली तक। (ल0–1.00 किमी0)	2.56	1,135.00	चार माह	''द''
4.	विकरनपुर से हथगॉव तक (ल0–1.95 किमी0)	4.86	1,135.00	चार माह	''स''
5.	ग्राम विक्रमपुर चकौरा से बरौरा होते हुए चमरूआ तक। (ल0–3.00 किमी0)	7.76	1,702.00	छः माह	''अ''
मण्डी समिति, पुवॉया के क्षेत्रान्तर्गत					
6.	इटौवा से वाया कुसुमा होकर तिकुनिया खुटार तक। (ल0–1.90 किमी0)	3.70	1,135.00	चार माह	''स''
7.	इन्दलपुर गौटिया से बसन्तपुर कालोनी तक (ल0–2.66किमी0)	6.40	1,702.00	छः माह	''ब''
मण्डी समिति, जलालाबाद के क्षेत्रान्तर्गत					
8.	ग्राम कोडर से रायपुर तक (ल0–1.50किमी0)	4.22	1,135.00	चार माह	''स''

1. नियम एवं शर्तें उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद, शाहजहाँपुर के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में देखी जा सकती है। निविदा विवरण मण्डी परिषद की वेबसाइट डब्लू0डब्लू0डब्लू0 यू0पी0 मण्डी परिषद डाट इन पर भी उपलब्ध रहेगी।
2. निविदा प्रपत्र उप निदेशक (निर्माण) कार्यालय, मण्डी परिषद, शाहजहाँपुर, उप निदेशक (प्रशा0/विप0) मण्डी परिषद, बरेली एवं भारतीय स्टेट बैंक, रोजा मण्डी, शाहजहाँपुर से भी दिनांकः–18.07.2011 तक क्रय की जा सकती है, परन्तु ठेकेदार को अपनी कार्यक्षमता सम्बन्धित उप निदेशक (निर्माण) से प्रमाणित करानी अनिवार्य होगी।
3. जिलाधिकारी महोदय से निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र/हैसियत प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति एवं रू0 100.00 (रू0 एक सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर घोषणा–पत्र (टी–4,टी–5 एवं टी–6) मूलरूप में संलग्न करना होगा।
4. पंजीकरण में निर्धारित कार्यक्षमता के अनुसार ही निविदा निर्गत की जायेगी।
5. अनुसूचित जाति/जनजाति के ए, बी, सी एवं डी श्रेणी के निविदादाताओं हेतु 2% की जमानत धनराशि टेण्डर के समय एवं 8% की जमानत धनराशि चालू देयकों से कटौती की जायेगी।
6. कार्य आवंटित होने के 60 दिन के अन्दर ठेकेदार को श्रम विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

30/6/11

(बी0पी0मौर्य)

उप निदेशक (निर्माण)

नियम एवं शर्तें (प्रकाशन के लिये नहीं)

1. निविदा प्रपत्र रू0 55.00 (डाक ब्यय अतिरिक्त) देने पर पंजीकृत डाक से भेजी जा सकती है, निविदा समय से प्राप्त न होने पर कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
2. निविदादाताओं को रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर तथा रू0 1.00 का रसीदी टिकट लगाकर निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
3. निविदा समिति द्वारा निविदा बिना कारण बताये निरस्त की जा सकती है।
4. निविदा क्रय करते समय निविदा क्रय करने वाले ब्यक्ति को फ़र्म की पार्टनरशिप डीड प्रस्तुत करनी होगी तथा निविदा क्रय करने वाले ब्यक्ति को पार्टनर होना भी अनिवार्य होगा। ब्यक्ति विशेष परिषद के जिस निर्माण खण्ड में पंजीकृत हो वहॉ के उप निदेशक (निर्माण) से अपने हस्ताक्षर प्रमाणित कराकर पंजीकरण की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर ही निविदा निर्गत की जायेगी।
5. वाणिज्य/आयकर की कटौती भुगतान किये जा रहे बिल से नियमानुसार की जायेगी।
6. वैट के सम्बन्ध में कार्यवाही जारी शासनादेश के अन्तर्गत की जायेगी।
7. निविदा की स्वीकृति के उपरान्त अनुबन्ध गठन करने से पूर्व स्टाम्प ड्यूटी एक्ट के अनुसार कोषागार से निर्गत निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करने पर ही मान्य होंगे।
8. अन्तिम देयक से पूर्व कराये गये निर्माण कार्य का मण्डी समिति को हस्तानान्तरण का दायित्व सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार का होगा।
9. निविदा उन्हीं ठेकेदारों को निर्गत की जायेगी जो नये पंजीकरण नियमावली एवं समय–समय पर जारी किये जा रहे पंजीकरण निर्देशिका के अनुसार पात्र होंगे।
10. निविदा की वैधता निविदा खुलने के तीन माह तक होगी।
11. यदि फर्म/ठेकेदार द्वारा एक कार्य की एक से अधिक निविदा डाली जाती है तो उसकी किसी भी निविदा पर बिचार नहीं किया जायेगा।
12. निविदादाता निविदा में भरी दरों को प्रतिशत के पूर्णांक दशमलव के तीन अंकों तक ही गणना की जायेगी। दशमलव के बाद तीन अंकों (0 से) से अधिक को अगला पूर्णांक मानते हुए निविदा की दरों की गणना की जायेगी। निविदा की दरों में दशमलव से पूर्व जीरो अंकित न होने से प्रतिशत के मध्य दर पर शब्दों में भरी न होने पर निविदा को अवैध माना जायेगा।
13. परिषद पत्रांक :मु0अभि0/निविदाएं/2000–4624 दिनांकः 10.10.2000 के क्रम में निविदा खरीदने हेतु निर्धारित प्रारूप पर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त ही निविदा निर्गत की जायेगी।
14. प्रतिशत अथवा उससे अधिक कम दरों पर प्राप्त निविदाएं स्वीकार होने के पश्चात निर्माण कार्य की देयता का अन्तिम जॉच हेतु गठित समिति से जॉचोपरान्त गुणवत्ता प्रमाणित होने पर ही किया जायेगा।
15. सी0सी0 रोड के निर्माण कार्य में मिक्सर एवं सरफेश बाइब्रेटर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
16. टेण्डर में किसी प्रकार का निगोशिएशन नहीं किया जायेगा, टेण्डर खुलने के बाद प्राप्त दरों के आधार पर निर्णय किया जायेगा।
17. निविदा भरते समय निविदा की सम्पूर्ण मदों को भली भॉति पढ़ लें, सशर्त निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
18. अनुबन्ध गठित करते समय सम्बन्धित फर्म/ठेकेदारों को पैन नम्बर देना अनिवार्य होगा।
19. किसी कार्य की एकल निविदा मान्य नहीं होगी तथा उसे खोला नहीं जायेगा।
20. अनुबन्ध में निर्धारित समय सीमा के सापेक्ष कार्य की प्रगति सन्तोषजनक न होने पर यथा आवश्यक जुर्माना लगाया जायेगा।
21. कार्य की मदें या मात्राएं निविदा स्वीकृति के पूर्व या बाद में घटाने या बढ़ाने का पूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी का होगा।
22. अनुबन्ध की लागत के अतिरिक्त कोई भी कार्य जोड़ा जायेगा तो उसकी स्टाम्प ड्यूटी अलग से देय होगी।
23. निविदा क्रय करते समय ही फर्म/ठेकेदार को निर्धारित धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0 /एन0एस0सी0 प्रस्तुत करनी होगी, जो उप निदेशक (निर्माण), शाहजहॉपुर के नाम बन्धक होगी।
24. निविदा दरें भरते समय ठेकेदार को यह प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके पास वर्तमान में कितनी धनराशि के कार्य आवंटित हैं । यह नोटरी शपथ पत्र पर देना होगा।

क्रमशः पृष्ठ 3 पर

25. अनुसूचित जाति/जन जाति के आवेदक को ''स'' श्रेणी एवं ''द'' श्रेणी के कार्यों में 2 प्रतिशत जमा धनराशि टेण्डर के समय तथा 8 प्रतिशत की धनराशि चालू देयकों से कटौती की जायेगी तथा ''अ'' एवं ''ब'' श्रेणी के आवेदकों को भी 2 प्रतिशत की जमानत धनराशि टेण्डर के समय तथा 8 प्रतिशत की धनराशि चालू देयकों से कटौती की जायेगी, शेष अन्य वर्गों हेतु पूर्बवत् ब्यवस्था लागू रहेगी।
26. हाटमिक्स के कार्य की निविदा उन्हीं ठेकेदारों को निर्गत की जायेगी जो मण्डी परिषद में पंजीकृत होने के साथ–साथ हाटमिक्स प्लाण्ट के स्वामी हों।
27. शासनादेश सं0–4435/छः–पु0–14–06–50(07)2006–दिनांकः–2.11.2006 के अनुसार जिलाधिकारी महोदय से निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र/हैसियत प्रमाण–पत्र/रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर, घोषणापत्र (टी–4,टी–5,टी–6) मूलरूप में संलग्न करना होगा।
28. मुख्य सचिव, उ0प्र0, शासन के अर्द्धशासकीय पत्र सं0–383/36–2–2010 दिनांकः– 26 फरवरी 2010 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निर्माण क्षेत्र में संलग्न एजेन्सी/ठेकेदार का पंजीयन श्रम विभाग में होना अनिवार्य होगा तथा प्राधिकृत निर्माण लागत का 01प्रतिशत की दर से उपकर (सेस) धनराशि नियमानुसार कटौती की जायेगी।

(बी0पी0मौर्य)
उप निदेशक (निर्माण)

पृ0संख्याःनि0–शाह0 (निविदा)/11– 1206 तद् दिनांकः 30-06-11

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव निदेशक/अपर निदेशक (प्रशासन), मण्डी परिषद,उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, मण्डी परिषद,उ0प्र0, गोमतीनगर, लखनऊ।
3. वित्त नियन्त्रक, मण्डी परिषद,उ0प्र0, गोमतीनगर, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहॉपुर।
5. उप निदेशक (प्रशा0/विप0) मण्डी परिषद,उ0प्र0 बरेली।
6. समस्त उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद,उ0प्र0।
7. सचिव/सभापति, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, पुवॉया, जलालाबाद, शाहजहॉपुर।
8. सम्बन्धित अवर अभियन्ता, मण्डी परिषद, शाहजहॉपुर।
9. सहा0लेखाधिकारी/लेखा लिपिक/अनुभाग अधिकारी/संगणक, मण्डी परिषद, शाहजहॉपुर।
10. सम्बन्धित पंजीकृत ठेकेदार, मण्डी परिषद, शाहजहॉपुर।
11. नोटिस बोर्ड, मण्डी परिषद, शाहजहॉपुर।
12. सिस्टम मैनेजर मण्डी परिषद, लखनऊ को उपरोक्त निविदा मण्डी परिषद की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।

30/6/11
उप निदेशक (निर्माण)